15/5/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष
उपस्थित। प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा किया गया [illegible]
हेतु नंबर में [illegible] हो। पिछले निर्णय
शामिल किया जावे।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2025/287

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– भरत जयप्रकाश मीना (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 110/2025 GCMS:- 2025/287 दायरा दिनाक:– 05.05.2025

1. विमला देवी पत्नी देवीलाल जाति स्वामी निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– प्रार्थीया

बनाम

1. दुर्गेश कुमार जोशी पुत्र श्री बदरूराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक 5 डीडब्लयूएम तहसील तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. योगेन्द्र सिह पुत्र श्री लेखराम सिह जाति राजपूत निवासी सोनोखर तहसील कामा तहसील भरतपुर
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट प्रार्थीया
2. शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – अप्रार्थी न. 1 ता 2

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 15.05.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीया ने दावा के साथ यह प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से सयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के रोही बछरारा के खाता न. 252/118 के खसरा न. 122 में 2.225 हैक. व खसरा न. 79 में 3.490 हैक. बारानी दोयम भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण के नाम से तहसील सूरतगढ़ के रोही बछरारा के खाता न. 164/136 के खसरा न. 123 में 3.807 हैक. बारानी दोयम व खसरा न. 164 में 2.681 हैक. बारानी दोयम कुल 6.4880 हैक. बारानी दोयम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीया का उक्त रकबा खातेदारी है व प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण अलग अलग खसरा नम्बरान है, तथा अपने अपने खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी काबिज काश्त भूमि को करावा लगाकर व रूड़ी डालकर समतल व उपजाउ किया है। समतल व उपजाउ किया है। समतल व उपजाउ किस्म की भूमि को देखकर अप्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गयी है और प्रार्थीया की समतल व सुधारी हुई भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण करने की फिराक में है इसलिये प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की चिरस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि वो प्रार्थीया की भूमि काबिज काश्त व सुधारी तथा समतल भूमि में अप्रार्थीगण तो स्वंय दखल अदांजी करे व ना ही किसी अन्य से करवावे। अप्रार्थीगण जो राजनैतिक प्रभाव रखते है राजनैतिक प्रभावंश प्रार्थीया की इच्छा के विरूद्व दखलदांजी करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण के प्रार्थीया की खातेदारी भूमि कब्जा काश्त व सुधारी हुई भूमि में मदाखलत करने का कतई कोई अधिकार नही है खातेदारी रकबा होने से खातेदार कृषक की इच्छा के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया जा सकता अब अप्रार्थीगण जबरदस्ती राजनैतिक प्रभावंश प्रार्थीया के खातेदारी रकबा में मदाखलत बेजा करने की कोशिश कर रहे है व प्रार्थीया की काश्त शुदा खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीया को उक्त भूमि से बेदखल करने की चेष्टा में है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। इसलिये उभयपक्ष को पाबंन्द किया जावे कि वो वाके तहसील सूरतगढ़ की रोही बछरारा के खाता न. 252/118 के खसरा न. 122 में 2.225 हैक. व खसरा [illegible] 3.490 हैक. बारानी दोयम भूमि व इसी रोही बछरारा के खाता न. 164/136 के खसरा न. 1[illegible] 3.8[illegible] हैक. बारानी दोयम व खसरा न. 164 में 2.681 हैक. बारानी दोयम कुल 6.4880 हैक. बारानी दोयम भू[illegible] मौका एव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना [illegible] करे [illegible] किसी अन्य से करावे, के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अधिवक्ता प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनकर दिनांक 05.05.2025 को जैर प्रकरण तहसील सूरतगढ़ की रोही बछरारा के खाता न. 252/118 के खसरा न. 122 में 2.225 हैक. व खसरा न. 79 में 3.490 हैक. बारानी दोयम भूमि व इसी रोही बछरारा के खाता न. 164/136 के खसरा न. 123 में 3.807 हैक. बारानी दोयम व खसरा न. 164 में 2.681 हैक. बारानी दोयम कुल 6.4880 हैक. बारानी दोयम भूमि पर मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व एक दूसरे

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करावे का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को साधारण एवं रजिस्ट्रर्ड नोटिस से तलब किया गय।

अप्रार्थी नं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के तथ्यो को इन्कार करते हुऐ निवेदन किया कि सहखातेदार तमाम रकबा के लिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा का दावा नही ला सकती तथा प्रार्थीया ने सहखातेदार को पक्षकार भी नही बनाया है। जैरप्रकरण खसरा नं. 123 व 164 का रकबा हमारा खातेदारी रकबा है जिसका खसरा अलग है तथा प्रार्थीया का हम अप्रार्थीगण के रकबा से कोई वास्ता नही है। प्रार्थीया ने सही तथ्य छिपाकर एकतरफा तौर पर कानून के प्रावधानो के विपरीत जाकर स्थंगन प्राप्त किया है। अप्रार्थीगण अपने रकबा की सही पैमाईश भी चाहते है सही मायने में प्रार्थीया अपने अन्य खसरा के खातेदारी रकबा की आड में हमारे खातेदारी रकबा को हड़पना चाहती है। हमारे रकबा को विवादित बना देना चाहती है हम हमारे रकबा के खातेदार है हमारे खसरा के रकबा में प्रार्थीया को कोई हित निहित नही है। वास्तव में प्रार्थीया व उसके परिवार के सदस्यो के नाम से इस रोही में अनेको खसरो में विवादित भूमि है। प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार के सदस्यो का रोही बछरारा के खसरा न. 123 व 164 में एक इंच रकबा नही है वो हमारे रकबा में दखलदाजी करना चाहते है हम हमारे रकबा की सही निशानदेही के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ को पेश किया तथा पैमाईश हेतु श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ ने टीम का गठन किया व सीमाज्ञान की टीम की जानकारी होते ही प्रार्थीया ने गैरकानूनी तरीके से हमारे रकबा का स्थंगन ले लिया जिससे हमारे खसरा की पैमाईश भी रूक गई। हम अप्रार्थीगण प्रार्थीया के रकबा पर दखलदाजी करने का सवाल ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया अपने नाम को खातेदारी रकबा की आड में अड़ौस पड़ौस की कई बीघा रकबा दबाने की साजिश रच कर एकतरफा स्थगंन ले लिया है। जैरप्रकरण स्थगंन की आड में प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में दखलदाजी करने पर उतारू है। हम अप्रार्थीगण का खसरा अलग है हम अप्रार्थीगण प्रार्थीया के रकबा पर कतई दखल नही कर रहे है हम सही सीमाज्ञान करवाना चाहते है तथा सीमाज्ञान रूकवाने के लिये ही प्रार्थीया ने श्रीमान न्यायालय से यह स्थगन प्राप्त किया है। प्रार्थीया को हमारे खातेदारी रकबा का स्थगन लेने का कोई हक नही है हम प्रार्थीया के रकबा पर कतई दखल नही कर रहे है सही सीमाज्ञान चाहते है इसलिये उक्त अनवानी प्रकरण में जारी एकतरफा खारिज कर हमारे रकबा का सही सीमाज्ञान का आदेश दिया जावे। तत्पश्चात् पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी टी. आई. को स्थाई करने का निवेदन किया व अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारीज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी अनुसार तहसील सूरतगढ़ की रोही बछरारा के खाता न. 252/118 के खसरा न. 122 में 2.225 हैक. व खसरा न. 79 में 3.490 हैक. बारानी दोयम भूमि प्रार्थीया व अन्य सहकाश्तकारो के नाम दर्ज है तथा इसी रोही बछरारा के खाता न. 164/136 के खसरा न. 123 में 3.807 हैक. बारानी दोयम व खसरा न. 164 में 2.681 हैक. बारानी दोयम कुल 6.4880 हैक. बारानी दोयम भूमि अप्रार्थीगण के नाम अलग–अलग खाता व अलग–अलग खसरा नम्बर में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया ने अपने सहकाश्तकारो को भी पक्षकार मुकदमा नही बनाया है तथा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण जो अपने रकबा के खातेदार कृषक है इसलिये प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के खातेदारी रकबा पर स्थगंन प्राप्त करने का कोई कानूनी विधिक अधिकार नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक खातेदार कृषक को उसके खातेदारी रकबा को रहन, बेचान [illegible] किया जा सकता तथा ना ही खातेदार कृषक व सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हो सकती क्योकि एक खातेदार के विरूद्व टीआई जारी करना भी उचित नही है। इसलिये पूर्व में जारी स्थगंन खारिज करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए 1955 खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी स्थगंन दिनाक 05.05.2025 निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:08 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़